मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम जिला राजसमन्द
पीठासीन अधिकारी :- श्री विकास शर्मा (आर.ए.एस)

राजस्व वाद सं. 44/2024

उदयसिंह पिता रतनसिंह जाति रावत आयु बालिग निवासी लसाड़िया तहसील भीम जिला राजसमंद।

....वादी

बनाम

01. नारायण सिंह पिता दौलतसिंह।
02. रघुवीर सिंह पिता गुलाब सिंह।
03. गिरधारी सिंह पिता मानसिंह।
04. नारायण सिंह पिता चिमन सिंह।
05. भंवर सिंह पिता दौलत सिंह।
06. राजेन्द्र सिंह पिता दोलत सिंह।
07. राम सिंह पिता दौलत सिंह।
08. सुशीला पुत्री मानसिंह।
09. हजारी सिंह पिता चिमन सिंह।

समस्त जाति रावत आयु बालिग निवासी लसाड़िया तहसील भीम जिला राजसमंद।

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीम

....प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1- वादी की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार सालवी एवं मिठा सिंह

2- प्रतिवादी स्टेट तहसीलदार भीम की ओर से पैरोकार सरकार

राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक:- 7/5/2026

उक्त धारा से संबंधित वाद वास्ते विभाजन हेतु न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ।

वाद पत्र

प्रकरण वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम लसाड़िया पटवार हल्का लसाड़िया भू.अभि. निरीक्षक कुकड़ा तहसील भीम जिला राजसमंद की जमाबंदी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2076-2079 वर्ष 2021 के अनुसार आराजियात भूमि के खाता नम्बर 85 खसरा संख्या 13670 रकबा 0.0971 किस्म चाही 1 जाव 1 है। यह कि उक्त वर्णित वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजी में वादी का 1/2 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/16 वां हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 02 का 1/32 वां हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 03 का 1/16 वां हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 04 का 1/16 वां हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 05 का 1/16 वां हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 06 का 1/16 वां हिस्सा एवं प्रतिवदी संख्या 07 का 1/16 वां हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 08 का 1/32 वां हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 09 का 1/16 वां हिस्सा होकर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 09 रिकॉर्ड के अनुसार खातेदार होकर उनके हिस्से पर

Scanned with OKEN Scanner

ाबिज होकर उपरोक्त भूमि का हिस्से अनुसार भाग पर काबिज होकर उसका उपयोग–उपभोग र रहे है। वादीगण अब अपने हिस्से का उन्नत विकसित बनाकर आये कृषि हेतु उपजाऊ रवाना चाहते है परन्तु रिकॉर्ड में बंटवारा नही होने के कारण से हर समय विवाद की स्थिति ी रहती है व वादीगण अपने हिस्से को उन्नत एवं विकसित भी नही करवा पा रहे है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में प्रवितादी संख्या 01 से 09 के विरूद्ध आशय की ड्क्री फरमाई जावे कि –

- ➢ वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमि वर्णित आराजी में वादी का 1/2 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/16 वां हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 02 का 1/32 वां हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 03 का 1/16 वां हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 04 का 1/16 वां हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 05 का 1/16 वां हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 06 का 1/16 वां हिस्सा एवं प्रतिवदी संख्या 07 का 1/16 वां हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 08 का 1/32 वां हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 09 का 1/16 वां हिस्सा होकर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 09 रिकॉर्ड में अलग दर्ज करवाई जाकर एवं वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।
- ➢ खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण संख्या 01 से 09 से दिलाया जावें।

उपरोक्त आदेश की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी अधिवक्ता श्री दिलीप ुमार सालवी एवं मिठा सिंह द्वारा सहमति व्यक्त करते हुये अंतिम डिक्री जारी किये जाने बाबत नेवेदन किया। इस प्रकार जमाबंदी एवं प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारान् के मध्य ख़ातेदारी विभाजन बाबत निम्नानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

़. ं.	खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा(है0 में)	किस्म	लगान
1	उदय सिंह पुत्र रतन सिंह हिस्सा 1/2 जाति रावत सा. देह	13670/1	0.0485	चाही 1 जाव 1	0.69 0.23
		किता – 01	0.0485	–	0.92
02	01. नारायण सिंह पुत्र चिमन सिंह हि. 1/8 02. गुलाब सिंह पुत्र चिमन सिंह हि. 1/8 (मूल वाद में गुलाब सिंह के एकमात्र वारिसान रघुवीर सिंह पुत्र गुलाब सिंह को पक्षकार संयोजित किया गया है।) 03. हजारी सिंह पुत्र चिमन सिंह हि. 1/8 04. गिरधारी सिंह पुत्र मान सिंह हि. 1/16 05. सुशीला पुत्री मान सिंह हि. 1/16 06. नारायण सिंह पुत्र दोलत सिंह हि. 1/8 07. भंवर सिंह पुत्र दौलत सिंह हि. 1/8 08. राजेन्द्र सिंह पुत्र दौलत सिंह हि. 1/8 09. राम सिंह पुत्र दौलत सिंह हि. 1/8	13670/2	0.0486	चाही 1 जाव 1	0.70 0.24
		किता – 01	0.0486	–	0.94

उपरोक्तानुसार तहसीलदार भीम माफिक डिक्री राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद की कार्यवाही कर पालना से अवगत करावें।

सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर भीम

पीठासीन अधिकारी:– श्री विकास शर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 44/2024

उदयसिंह पिता रतनसिंह जाति रावत आयु बालिग निवासी लसाड़िया तहसील भीम जिला राजसमंद।

..............................वादी

बनाम

01. नारायण सिंह पिता दौलतसिंह।
02. रघुवीर सिंह पिता गुलाब सिंह।
03. गिरधारी सिंह पिता मानसिंह।
04. नारायण सिंह पिता चिमन सिंह।
05. भंवर सिंह पिता दौलत सिंह।
06. राजेन्द्र सिंह पिता दोलत सिंह।
07. राम सिंह पिता दौलत सिंह।
08. सुशीला पुत्री मानसिंह।
09. हजारी सिंह पिता चिमन सिंह।

समस्त जाति रावत आयु बालिग निवासी लसाड़िया तहसील भीम जिला राजसमंद।

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीम

..............................प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांकः– 7/5/2026

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार सालवी एवं मिठा सिंह व प्रतिवादी स्टेट की ओर से सरकारी पैरोकार की उपस्थिति के आधार पर इस वाद में आज दिनांक को पीठासीन अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर अंतिम डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार भीम को आदेश दिया जाता है कि ग्राम लसाड़िया पटवार हल्का लसाड़िया भू.अभि. निरीक्षक कुकड़ा तहसील भीम जिला राजसमंद में मूल वाद में अंतिम डिक्री एवं तहसीलदार भीम द्वारा पेश बंटवाड़ एवं मौका रिपोर्ट के अनुसार किया जाकर वादी को अपने हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार भीम/पटवारी हल्का लसाडिया द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम लसाड़िया तहसील भीम स्थित आराजी नम्बर 13670 रकबा 0.0971 है0 भूमि में प्रतिवादीगण क0सं0 02 पर अंकित खातेदार रघुवीर सिंह पिता गुलाब सिंह प्राथमिक डिक्री के आदेश दिनांक 07.10.2025 दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड ग्राम लसाड़िया जमाबंदी संवत् 2076–79 के खाता संख्या 85 में कम संख्या 02 पर खातेदार श्री गुलाब सिंह पिता चिमन सिंह रावत का हिस्सा 1/16 दर्ज है। अतः उक्त राजस्व रिकॉर्ड अनुसार रघुवीर सिंह पिता गुलाब सिंह रावत के बजाय गुलाब सिंह पिता चिमन सिंह प्रतिवादी दर्ज किया जाकर अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित है। प्रतिवादीगण वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना तो स्वयं पैदा करें ना किसी अन्य से करवाए। इस

Scanned with OKEN Scanner

आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तहसीलदार भीम उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पृथक खाते खोलकर पालना से अवगत करावें।

तहसीलदार भीम माफिक डिक्री उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अमलदरामद कर पालना प्रस्तुत करने की कार्यवाही करे।

यह आज तारीख 7/5/26 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी की

(विकास शर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	–	अर्जी के लिए स्टाम्प	–
	–	प्लीडर की फीस	
3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		साक्षियों के लिए	–
4. ....रूपये पर प्लीडर की फीस	–	निर्वाह–व्यय	–
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	–	आदेशिका की तामिल	
		कमिश्नर की फीस	–
6. कमिश्नर की फीस	–		–
7. आदेशिका की तामिल			
जोड		जोड	

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द